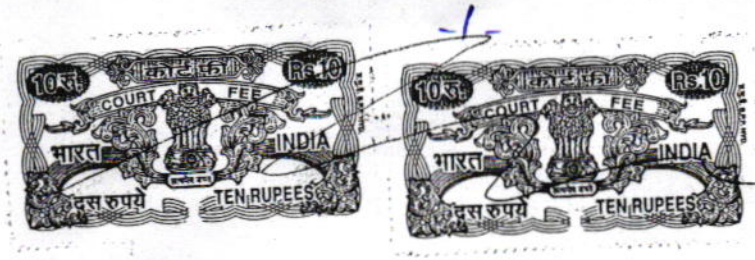

न्यायालय :- श्री मान् राजस्व मंडल अधिकारीमहोदय ग्वालियर म0 प्र0

प्र0 क्र0 / 14 निगरानी

1:- परवीन बेगम पत्नि सलीम खॉ जाति

मुसलमान निवासी ग्राम युसुफगंज तेहसील

ग्यारसपुर जिला विदिशा

2:- मुमताज जहॉपत्नि सलावत खॉ जाति

मुसलमान निवासी ग्राम हेदरगढ़ तेहसील

ग्यारसपुर जिलाविदिशा म0 प्र0 ---निगरानीकर्ता

बनाम

खिलान सिंह पुत्र शिवचरण जाति आदिवासी

निवासी ग्राम युसुफगंज तेहसील ग्यारसपुर

जिला विदिशा म0 प्र0 --- रिस्पाडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0

आदेश दिनांक - 3-02-14 के विरूध्द प्र0 क्र0 26/ निगरानी / 2012 - 2013 व उनमान खिलान सिंह बनाम परवीन बेगम आदि न्यायालय - अपर कलेक्टर जिला विदिशा के विरूध्द

:---:

माननीय महोदय ,

निगरानी केतथ्य तथा निगरानी के कारण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1:- निगरानी के तथ्य 1:-

1:- यह कि निगरानीकर्ता गण ग्राम युसुफगंज व ग्राम हेदरगढ़ तेहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा के निवासी होकर महिलाये है ।

2:- यह कि रिस्पा0 ग्राम युसुफगंज तेहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा कानिवासी होकर जाति का आदिवासी है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1314–एक/14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.8.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 26/निगरानी/12–13 में पारित आदेश दिनांक 3–2–2014 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । 2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में आवेदक कमांक 1 ने संहिता की धारा 110 के तहत आवेदन पेश कि कि उसने युसुवगंज की भूमि सर्वे नं. 64 रकबा 0.418 को आवेदक कमांक 2 मुमताज जहां से दिनांक 12.9.07 को पंजीकृत विकयपत्र के द्वारा कय की है अतः उसका नामांतरण किया जाये । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय ने कार्यवाही प्रारंभ की । कार्यवाही के दौरान अनावेदक ने इस आधार पर आपत्ति पेश की कि प्रश्नाधीन भूमि को आपत्ति कर्ता द्वारा कय कर अपने पक्ष में अनुबंध निष्पादित कराया है तथा संपूर्ण विकय धन अदा कर दिया है, इसलिए आवेदक परवीन को उक्त भूमि विकय का अधिकार नहीं था और ना नामांतरण कराने का अधिकार है अतः नामांतरण आवेदन निरस्त किया जाये । तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–6–09 द्वारा उक्त आपत्ति निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की साथ ही विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नामांतरण संबंधी आवेदन भी निरस्त	

निग.:- 1314-5/14 (विदिश)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए गए हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा यह पाया है कि कलेक्टर द्वारा अनावेदक खिलानसिंह की भूमियों को संहिता की धारा 165(6) के तहत विकय करने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी जिसमें यह शर्त लगाई गई थी कि आवेदकों द्वारा आदिवासी (अनावेदक) की भूमि कय करने के साथ-साथ ही आदिवासी अनावेदक को भूमियां विकय भी करेगा । किंतु अनावेदक के पक्ष में विकयपत्र निष्पादित किए बिना आवेदकों द्वारा अपने पक्ष में विकयपत्र निष्पादित करा लिये गये तथा नामांतरण आवेदन भी प्रस्तुत कर दिये गये । अपर कलेक्टर ने अनुमति के आदेश में लगाई गई शर्त का पालन किए बिना विकयपत्र का निष्पादित करना तथानामांतरण की कार्यवाही करना संहिता की धारा 165(6) के उल्लंघन माना है तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकों के पक्ष में किया गया

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1314–एक / 14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विकयपत्र एवं की जा रही नामांतरण कार्यवाही कपटपूर्ण अंतरण की श्रेणी में आती है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का आलोच्य आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश एवं आवेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नामांतरण संबंधी आवेदन निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	10.8.16